IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मान–हत्या/ऑनर किलिंग और भारत

Honor-Killing and India

[1]Neeti Kushwaha, [2]Dr. Gurnam Singh,

[1]Research Scholar & ICSSR Doctoral Fellow, [2]Professor,
[1]Department of Social Work,
[1]University of Lucknow, Lucknow, UP, India

Abstract: भारत एक ऐसा देश हैं जहां पर विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों एवं विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। हर धर्म की अपनी एक संस्कृति, मूल्य, नियम एवं विचार हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और मनुष्य को समाज द्वारा बनाये गये नियमों एवं मानदण्डों का पालन करना पड़ता है। भारत के परिपेक्ष्य में देखा जाये तो यहां की सामाजिक व्यवस्था की जड़े उतनी ही गहरी हैं जितनी की भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की। समाज मनुष्य को जीनें के लिये एवं उसकी सामाजिक, निजी, भौतिक, नैतिक एवं जैविक आदि आवश्यकताओं को पूरा करनें के लिये अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। मानव ने ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संस्कृतियों एवं मान्यताओं का निमार्ण किया है। जिनका एक बड़ा हाथ समाज की दिशा व दशा तय करनें में भी रहता है। यह संस्कृतियां, मान्यताएं एवं मूल्य समाज के लोगों के लिये हितकारी होनें के साथ–साथ कभी–कभी हानिप्रद भी हो जाते हैं। इन्ही की आड़ में वह निरन्तर अनेक ऐसे कार्य भी करता है जो मानवीय, सामाजिक, नैतिक एवं कानूनी दृष्टि से अमान्य एवं अवैध होते हैं। बाल विवाह, सती प्रथा, मान हेतु हत्या, महिलाओं को दोयम दृष्टि से देखना आदि इसी का परिणाम है।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोध का उद्देश्य पाठकों के मध्य मान आधारित हत्या जैसे संवेदनशील विषय के प्रति ध्यान आकृष्ट करना, उनके संशयों का निराकरण करना, तार्किक समझ विकसित करना तथा उन्हें औरों को जागरूक करने हेतु प्रेरित करना है।

Index Terms *- मान हत्या, ऑनर किलिंग, झूठी शान, इज्जत, कस्टमरी किलिंग आदि।*

I. प्रस्तावना (INTRODUCTION)

हिंसा के विविध रूप जैसे– मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, दहेज हत्या, बलात्कार आदि अत्यंत संवेदनशील विषय हैं जो टेलीविजन तथा समाचार पत्रों की सुर्खियां बने रहते हैं मानों ये उनका एक स्थायी स्तंभ हो। मान–हत्या अथवा सम्मान हेतु हत्या भी इसी तरह हिंसा का ही एक प्रकार है। जिसका शिकार अधिकतर मामलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ही बनती हैं। हमारी आजादी को 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं देश निरन्तर विकास की ओर अग्रसारित है। वह औद्योगिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक, सूचना–प्रौद्योगिकी, तथा तकनीकी क्षेत्रों में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वही कुछ ऐसे संकुचित विचारधाराओं के लोग आज भी हैं जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं और जिन्होंने मान–हत्या रूपी कुप्रथाओं को पनाह दे रखा है। जिनसे वह आज तक मुक्त नही हो पाए हैं, और परिवार के सम्मान के नाम पर अपनें ही बच्चों का जीवन समाप्त कर रहें हैं। वे यह भी नही सोचते कि जिस झूठी इज्जत को वह बचाने के लिये अपने बच्चों को अथवा सगे–संबंधियों को मारते हैं, उस पर कलंक लगाने का घृणित कार्य तो वह स्वयं करते हैं।

कनिष्ठ गृह मंत्री हंसराज जी0 अहिर द्वारा भारतीय संसद में रखे गये आंकड़ों के अनुसार भारतीय पुलिस ने वर्ष 2015 में 251 मान–हत्या के मामले दर्ज किये थे जो कि वर्ष 2014 से 800 प्रतिशत से अधिक हैं वर्ष 2014 में यह संख्या 28 थी।

डिकल विश्वविद्यालय (गेजर 2001) द्वारा किये गये अध्ययन में स्पष्ट किया है कि 'समाज में मान–हत्या के ऐसे भी अपराधी हैं जो उच्च शिक्षित विश्वविद्यालयी स्नातक हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार 60 प्रतिशत मान–हत्या के अपराधी या तो हाईस्कूल शिक्षित हैं या विश्वविद्यालयी स्नातक हैं अथवा कम साक्षर हैं।'

वास्तव में Honour-Killing या मान–हत्या को एक डच तुर्किश विशेषज्ञ ने सम्मान के नाम पर परिवार व समुदायों द्वारा की जा रही हत्या को अन्य प्रकार की हत्याओं से अलग कर यह नाम दिया था। इसे कस्टमरी–किलिंग (Customary-Killing) भी कहा जाता है। मान–हत्या/सम्मान हेतु हत्या/गौरव रक्षा हेतु की गयी हत्या अथवा ऑनर–किलिंग या अभिरक्षा हत्या जैसे शब्द भले ही वर्तमान में प्रयुक्त हो रहें हो किन्तु इस प्रकार की हत्या प्राचीन काल में भी होती थी। रामायण काल की सूर्पनखा हो या वर्तमान की निरूपमा राव अथवा कंदील बलोच आदि जिनके जीवन की डोर तथाकथित सम्मान के रखवालों ने ही काट दी थी।

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्सनरी के अनुसार ऑनर किलिंग का अर्थ है–

1. परिवार को कलंक से बचाने के लिये किया गया वध।
2. गौरव रक्षा के लिये की गयी हत्या।

वहीं मानव अधिकार संस्था **'ह्यूमन राइट्स वॉच'** ने मान–हत्या को परिभाषित करते हुए कहा है–

"सम्मान की रक्षा के लिये किये गए अपराध, हिंसा के वो मामले हैं, जिन्हें परिवार के पुरूष सदस्यों ने अपने ही परिवार की महिलाओं के खिलाफ इसलिये अंजाम दिया है, क्योंकि उनके अनुसार उस महिला सदस्य के किसी कृत्य से समूचे परिवार की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि परिवार द्वारा निर्धारित शादी से इंकार, किसी यौन अपराध का षिकार बनना, पति से (प्रताड़ना देने वाले पति से) तलाक की मांग करना या फिर अवैध संबंध रखनें का संदेह, आदि। केवल यह धारणा ही उस महिला सदस्य पर हमले को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त है कि उसके किसी कदम से परिवार की इज्जत को बट्टा लगा है।"

ऑक्सफोर्ड डिक्सनरी ऑफ लॉ इंफोर्समेन्ट (2001) के अनुसार–

''मान–हत्या आमतौर पर किसी महिला की, परिवार के सदस्यों द्वारा अथवा उनके निर्देष पर इस धारणा से प्रेरित हत्या है कि उसने परिवार के नाम को शर्मशार किया है।''

फ्री डिक्सनरी ऑफ फॉरलेक्स (2007) के अनुसार–

''मान–हत्या वह क्रिया है जिसके तहत परिवार का एक पुरूष सदस्य एक महिला रिश्तेदार को परिवार की छवि खराब करने के लिये मार देता है।''

हसन*(1995)* के शब्दों में–

''मान–हत्या किसी महिला की वास्तविक या कथित रूप से नैतिक अथवा मानसिक रूप से अशुद्ध एवं अपवित्र व्यवहार के लिये की जाने वाली अवैध हत्या है।''

शेरी एवं बॉब स्ट्रिटॉफ *(2001)* के शब्दों में–

''मान–हत्या परिवारों द्वारा परिवार के उन सदस्यों की जानें वाली हत्या है जिन्होनें उनके अनुसार परिवार अथवा परिवार के नाम को शर्मशार किया है।''

उपरोक्त कथनों व परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मान–हत्या झूठी शानों–शौकत व रुतबे को बनाए रखने के लिये किसी परिवार, वंश या समुदाय के व्यक्ति अथवा समूह द्वारा (मुख्यतः पुरूष सदस्य द्वारा) उसी परिवार, वंश अथवा समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति/सदस्य की (मुख्यतः महिला सदस्य की) की गई हत्या है। किन्तु मान हत्या के नाम पर यहां इन्सान व सम्मान दोनों की ही हत्या की जाती है। क्योकि कोई भी अनैतिक कार्य वह भी संकीर्ण विचारधारा के कारण किसी की हत्या कर देना सम्मान का विषय नही है। वास्तव में यहां सम्मान की रक्षा नही अपितु उसकी हत्या उसके तथाकथित रखवालो द्वारा ही की जाती है। विडम्बना यह है कि कई क्षेत्रों की खाप पंचायतो की भूमिका भी इस संबंध में नकारात्मक तथा विचारणीय है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा की खाप पंचायते एवं तमिलनाडु की कट्टा पंचायतें लोगों की निजी जिंदगी में दखल देने के साथ ही सगोत्र एवं अन्तर्जातीय विवाह का खुलकर विरोध करती हैं। उनके नियमों के विरूद्ध जानें वालो युगलों के खिलाफ वे सख्त एवं अषोभनीय कदम उठाते है। ये खाप पंचायते हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में संषोधन करवाकर सगोत्र विवाह को अवैध घोषित करनें की मांग कर रही हैं जो कि अनुचित है।

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि **'किसी परिवार, वंश, धर्म, जाति या समुदाय के सदस्यों को स्वयं के अहं के खतरें में आने का संदेह होने पर आवेश में आकर योजनागत रूप से अपनें ही परिवार, वंश, धर्म, जाति या समुदाय के किसी अन्य सदस्य की हत्या करना ही ऑनर किलिंग अथवा मान–हत्या है।'**

मान–हत्या अथवा सम्मान हेतु हत्या के कारण

(Causes of Honour-killing)–

मान–हत्या से संबंधित अधिकांश मामलों के पीछे मुख्य वजह विवाह से ही जुड़े हुये होते है। जैसे किसी अन्य जाति या धर्म के सदस्य से विवाह कर लेना, अपनें ही गोत्र में विवाह कर लेना, प्रेम विवाह करना अथवा परिवार द्वारा तय की गयी शादी से इंकार करना आदि। इसके इतर कहीं वेश–भूषा व परिधानों की वजह से तो कही किसी महिला या पुरूष सदस्य के किसी ऐसे व्यवसाय को करना जिसे परिवार अथवा समाज हेय दृष्टि से देखता हों अथवा कभी–कभी न चाहते हुये भी जाति–बिरादरी या समुदाय विशेष के सदस्यों के दबाव व धमकियों की वजह से भी इस प्रकार की हत्या को अंजाम दिया जाता है। इन हत्याओं में बलि का बकरा अधिकांश मामलो में मुख्यतः महिलाएं ही बनती हैं। क्योंकि परिवार या समुदाय की इज्जत के तथाकथित रखवाले (मुख्यतः पुरूष सदस्य) सम्मान की रक्षा के नाम पर अपने झूठे अभिमान को बनाये रखनें के लिये इस प्रकार के निंदनीय कृत्य को करते हैं। फिर भी इज्जत के नाम पर की जा रही हत्याओं की वजहों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है–

1. **परिवार द्वारा नियत किये गए व्यक्ति से विवाह न करना–** परिवार द्वारा तयशुदा व्यक्ति से विवाह न करना अर्थात् परिवार के मुखिया के विवाह से संबंधित फैसले की खिलाफत करना भी मान–हत्या को जन्म देता है। क्योंकि परिवार का मुखिया (पुरूष सदस्य) इसे अपना अपमान समझता है और अपने झूठे अभिमान की खातिर अपने बच्चों की (खासकर लड़कियों की) जिंदगी से समझौता करता है, और उनसे अपने रिश्ते–नाते भुलाकर अपने ही बच्चों को मान–हत्या की बलि चढ़ा देता है।

2. **प्रेम विवाह करना–**

   परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी मर्जी से विवाह करना परिवारों में हो रही मान–हत्या का एक प्रमुख और सोचनीय वजह है। हमारे संविधान ने हमे जीवनसाथी के चयन का अधिकार दिया है फिर भी यदि 18 वर्ष से अधिक आयु के लड़के–लड़की अपनी मर्जी से विवाह अर्थात् प्रेम–विवाह कर लेते हैं तो कई परिवार व समुदाय इसे अपना अपमान समझते हैं और उन्हें स्वीकारनें से इंकार कर देते हैं। उनके अनुसार प्रेमी–युगल ने उनके परिवार की इज्जत को कलंकित किया होता है और इसे हटाने के लिये क्रोध में आकर वे उन्हें मार देतें हैं।

3. **विवाहेत्तर संबंध–**

   दम्पति का एक–दूसरे के प्रति वफादार ना रहना अर्थात् विवाह से पूर्व अथवा विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति अर्थात् स्त्री/पुरूष से शारीरिक संबंध स्थापित करना सम्मान हेतु की जा रही हत्या का एक बड़ा कारण है। अधिकतर मामलों में महज बेवजह अवांछित संबंधों का शक ही हत्या का कारण बनता है। हालांकि इस निराधार शक को दूर किया जा सकता है, रिश्तों में आयी दूरी की वजह को भी पता कर के एक नयी शुरूआत की जा सकती है लेकिन आपसी बातचीत की कमी और 'अहं' के भाव की प्रबलता मान–हत्या के रूप में सामने आती है।

4. **अंतर्जातीय विवाह करना–** मान–हत्या की एक बड़ी वजह किसी दूसरी जाति में खासकर अपनें से निचली जाति में विवाह करना रहा है। दोनों पक्षों के रहन–सहन के स्तर में भिन्नता, आर्थिक असमानता, निम्न जाति का होना और इसमें भी खासकर लड़की का निम्न जाति से होना आदि मान–हत्या को जन्म देता है।

5. **सगोत्रीय विवाह करना–** समाज समान गोत्र के व्यक्तियों के आपस में विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। और एक ही गोत्र में विवाह करनें वाले सदस्यों का हुक्का–पानी बंद कर दिया जाता है, उनको समाज से निष्कासित कर दिया जाता है अथवा उनकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि मान्यता है कि समान गोत्र के व्यक्तियों में आपस में खून का रिश्ता होता है और उनके वंशज भी एक ही होते हैं। अतः आपस में उनका विवाह अवैध घोषित कर उनका निष्कासन कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ संस्थाओं जैसे– खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान आदि इस मान–हत्या रूपी आग में घी का काम करतें हैं।

6. **यौनिक उत्पीड़न के कारण अथवा प्रेम–संबंधो की वजह से विवाह से पूर्व लड़की का गर्भवती होना–** हमारे समाज में लड़की को घर की इज्जत के रूप में देखा जाता है। वही अगर लड़की के साथ दुर्भाग्यवश कोई यौनिक घटना घटित होती है अथवा समाज के कुछ कुत्सित मानसिकता वाले लोग उसके साथ यौनिक दुराचार करतें हैं तो इसका उत्तरदायी उस युवती को ही समझा जाता है। कई मामलों में परिवार वाले भी पीड़िता का साथ ना देकर झूठी शान के लिये अथवा समाज या अभियुक्त के दबाव में आकर गलत कदम उठाते हैं जिसके फलस्वरूप मान–हत्या को बढ़ावा मिलता है।

7. **वेशभूषा या पहनावे के कारण–** आज भी कई क्षेत्रों में/समुदायों में लड़कियों के पहनावे को लेकर सोच संकुचित है। उनमे आज भी स्कर्ट पहनना, जींस पहनना आदि संस्कृति का निरादर लगता है, और इन क्षेत्रों में हुयी मान–हत्याओं में यह वजह भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही है।

8. **समाज या परिवार द्वारा हेय दृष्टि से देखे जाने वाले व्यवसाय को करना–** 21वी सदी में जब कि स्त्रियां हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। किन्तु आज भी कुछ ऐसे संकुचित विचारधारा के लोग हैं जो स्त्रियों को केवल घर की चाहरदीवारी में ही रखना चाहते हैं और वह यदि कार्य करनें की अनुमति देते भी हैं तो कुछ निश्चित जगहों और व्यवसायों को कई पाबन्दियों के साथ। ऐसे में यदि वह अपनी मर्जी से कोई कार्य करती है जैसे– नाइट शिफ्ट में कार्य करना, बार डान्सर के रूप में कार्य करना आदि तो ऐसे में परिवार एवं समाज के कुत्सित मानसिकता के लोग इसे स्वयं के आदेश की अवहेलना एवं निरादर समझते हैं।
9. **मान–हत्या का वर्णन कानून में न होना–** मान–हत्या को कानून में परिभाषित न करना और जिसके कारण संबंधित मामलों हेतु अलग से सजा का प्रावधान न होना भी इस प्रकार की हत्याओं को बढ़ावा देता है।
10. **राजनीतिज्ञों का इस संबंध में उदासीन रवैया–** क्षेत्रीय सांसद, राजनीतिज्ञ आदि की नकारात्मक भूमिका भी मान–हत्या के मामलों को बढ़ानें में एक हद तक जिम्मेदार है। वह गलत होने के बावजूद भी खाप पंचायतों के फैसलों का विरोध नही करतें हैं क्योंकि वे उनका बड़ा वोट बैंक हैं।
11. **खाप पंचायतों की प्रबलता–** उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में खासकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदि की खाप पंचायतों में अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, समलैंगिक विवाह, विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाना आदि अमान्य एवं समाज की प्रतिष्ठा पर कलंक माना जाता है। यदि ऐसे में कोई युगल इनकी मान्यता के विरूद्ध जाता है तो खाप पंचायतो के सदस्य उनके विरूद्ध कड़ी एवं निन्दनीय कार्यवाही करतें हैं जो मान–हत्या के रूप में सामने आता है।

संक्षेप में हम कह सकते है कि समाज के कुछ लोगों की संकीर्ण व संकुचित विचारधारा मान–हत्या जैसे संगीन अपराध को जन्म देती है। यह किसी विशिष्ट सामंती प्रथा से संबंधित नही है क्योंकि इसका विस्तार किसी देश, प्रान्त, वर्ग, धर्म, जाति, शिक्षा, संस्कृति, भाषा अथवा शैक्षिक स्तर तक ही सीमित नही है अपितु सह सार्वभौमिक घटना है।

मान–हत्या की विधियां

(Methods of Honour-Killing)–

यदि मान–हत्या से संबंधित विधियों की बात की जाय तो हम पायेंगे कि मान–हत्या की कोई निश्चित विधि अथवा कोई एक निश्चित रूप नही है। कभी मारना–पीटना, कभी जलाना, फांसी पर लटकाना, कभी एसिड अटैक करना, तो कभी गोली मारना अथवा सबके सामने पीट–पीट कर मार डालना, हुक्का–पानी बंद कर देना, निर्वस्त्र कर गांव में घुमाना, सामूहिक रूप से दुराचार करना आदि कुछ भी हो सकता है। सबसे निंदनीय तो खाप पंचायतों द्वारा जारी तुगलकी फरमान के रूप में इस पर अपनी मुहर लगाना और सजा सुनाना होता है।

मान–हत्या के लक्षण

(Characterstics of Honour-Killing) –

– इस प्रकार की हत्याओं के मूल में आपराधिक भावना के साथ ही सामाजिक अनादर की भावना चरम पर होती है।

– मान–हत्या अन्य हत्याओं के एकीकृत स्वरूप को दर्शाता है क्योंकि इन हत्याओं को परिवार अथवा परिवार एवं समाज के सदस्य पूर्वनियोजित व संगठित योजना बनाकर अंजाम देते हैं।

– झूठी शान के लिये की जानें वाली हत्याओं के पीछे एक धारणा महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित करनें की भी होती है।

–मान–हत्या के पीछे पुरूष सत्तात्मक सामाजिक संरचना एवं रूढ़िवादी संकीर्ण विचारधारायें एवं मान्यतायें मुख्य रूप से उत्प्रेरक का कार्य करती है।

– परम्परागत सामंती खाप पंचायते ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व प्राप्त संस्थायें है और इन इलाकों में यह अप्रत्यक्ष रूप से ये संस्थायें मान–हत्या को कानूनी समर्थन देनें का कार्य करती हैं।

I. मान–हत्या से संबंधित आंकड़े

(Data related to Honour-killing)–

वैसे तो ऑनर–किलिंग से जुड़े सटीक आंकड़े जुटाना काफी कठिन है क्योंकि यह किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नही हैं। फिर भी **संयुक्त राष्ट्र** (United Nation) की एक रिपोर्ट के अनुसार **प्रतिवर्ष मान–हत्या से संबंधित 5000 मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किये जाते हैं। जिनमें से तकरीबन 1000 मान–हत्या के मामले भारत से होते हैं।** वही लगभग इतने ही मामले पाकिस्तान में दर्ज किये जाते हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र में इस प्रकार की हत्याओं की संख्या 12 है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकसित देश हो या फिर विकाशसील देश कोई भी इससे अछूता नही है। उपरोक्त आंकड़े तो महज वे आंकड़े है जो मीडिया की वजह से सामने आ भी जाते है। किन्तु कई अनगिनत मामले ऐसे

भी हैं जो गुमनामी की गर्त से कभी बाहर ही नही आ पाते हैं। उन्हें दबा दिया जाता है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनो द्वारा प्रदत्त आंकड़ो को देखा जाये तो इनकी संख्या तीन से चार गुनी है। गैर सरकारी संगठनो के आंकड़ो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 20,000 ऐसी हत्याएं होती है जो तथाकथित झूठी इज्जत को बचानें के नाम पर की जाती हैं। तथापि ऑनर–किलिंग से जुड़े व्यवस्थित आंकड़े भारत सहित विभिन्न देशों से एकत्र नही किये जा सकते हैं क्योंकि यहां ऑनर–किलिंग से जुड़ी हत्याओं को परिवार द्वारा आत्महत्या अथवा एक्सीडेन्ट के रूप में दर्ज कराया जाता है।

बी0बी0सी0 (B.B.C.) की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 20,000 महिलाओं की हत्या के मामले दर्ज किये जाते हैं। इन हत्याओं के पीछे न केवल मान–हत्या बल्कि अन्य अपराध जैसे–एसिड अटैक, शारीरिक उत्पीड़न (मारना–पीटना) आदि वजहें भी जुड़ी हुयी होती हैं।

भारत के कुछ राज्यों में मान–हत्या की स्थिति

(Status of Honour-Killing in Some Indian States)–

मान–हत्या से जुड़े सर्वाधिक मामले भारत के उत्तरी राज्यों जैसे– पश्चिमी उत्तर प्रदेष, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि से सामने आते हैं। इतना ही नही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से प्रतिदिन लगभग 150 प्रार्थना–पत्र पुलिस को ऐसे प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा प्रेमी–युगल अथवा नवविवाहित जोड़े सुरक्षा व संरक्षण की मांग करते हैं।

IPSS (Indian population of Statistical Survey) के दिल्ली पर किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 695 मामले मान–हत्या से जुड़े दर्ज किये जाते है।

पंजाब पुलिस द्वारा प्रदत्त आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2008 में 97, वर्ष 2009 में 85 तथा वर्ष 2010 में 56 मान–हत्या के मामले दर्ज किये गए। इस प्रकार पंजाब से वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के बीच मान–हत्या से संबंधित लगभग 238 मामले प्रकाश में आए।

ऑनर–किलिंग के परिपेक्ष्य में हरियाणा की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा दयनीय एवं भयावह है। हरियाणा पुलिस के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 160 मामले दर्ज किये जाते हैं किन्तु इसकी वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना काफी कठिन है। क्योंकि कई मान–हत्या के मामले आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में दिखाये जाते हैं।

मान–हत्या से संबंधित कानून

(Laws related to Honor-Killing)–

सम्मान के नाम पर निरन्तर बढ़ रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार ने एक विधेयक लानें का फैसला किया है। विधेयक को संसद में पारित कराने के उद्देष्य से सरकार, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं अन्य एजेंसियां अपने–अपनें स्तर पर प्रयास कर रही हैं। जिसके तहत कई संशोधन प्रस्तावित हैं, जैसे– विशेष विवाह अधिनियम 1954 में विवाह पंजीकरण से पूर्व 30 दिन के नोटिस की बाध्यता को समाप्त करनें की सिफारिश की गई है जो कि इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा भारत के विधि कानून मंत्रालय ने खाप पंचायतो के तुगलकी फरमानों एवं अन्य संबंधित अनैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करनें के उद्देश्य से हाल ही में आई0पी0सी0 की धारा 300 में प्रस्तावित संषोधन की सिफारिष की है जिसके तहत खाप पंचायतों द्वारा की जाने वाली मान–हत्या को भी हत्या के अपराध में शामिल किया गया है।

यदि हम मान–हत्या से जुड़े वर्तमान कानूनों की बात करें तो हमारे देश में मान–हत्या से संबंधित कोई विशिष्ट कानूनी उपबन्ध नही है और ना ही इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित ही किया गया है। इसके अभियुक्तो अथवा आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता 1862 के अन्तर्गत उल्लिखित कानूनों के तहत् ही दण्ड दिया जाता है। कई मामलों में तो अपराधी साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त हो जाते हैं। मान–हत्या से जुड़े मामले सामनें आने पर पुलिस प्रशासन निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत उनको दर्ज करती है–

– आई0पी0सी0 की धारा 299, आपराधिक मानव वध।

– आई0पी0सी0 की धारा 300, हत्या।

– आई0पी0सी0 की धारा 301, आपराधिक मानव वध (जिस व्यक्ति की हत्या करनें का प्रयोजन था उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कारित करना)।

– आई0पी0सी0 की धारा 302, हत्या के लिये दण्ड।

– आई0पी0सी0 की धारा 303, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिये दण्ड।

– आई0पी0सी0 की धारा 304, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिये दण्ड।

– आई0पी0सी0 की धारा 307, हत्या का प्रयत्न।

– आई0पी0सी0 की धारा 308, आपराधिक मानव वध करनें का प्रयत्न।

उपरोक्त के अलावा झूठी शान हेतु की गयी हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15–1 व 3, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों का भी हनन करती है।

झूठी शान के नाम पर की जा रही हत्याओं से निपटने के लिये कानूनी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करनें, खाप पंचायतो की निगरानी करनें एवं लोगो में जागरूकता फैलानें के साथ ही रूढ़िवादी संकीर्ण विचारधाराओं व मान्यताओं में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य एजेंसियों को एक साथ मिलकर संगठित होकर आपसी समन्वय के साथ प्रयास करना होगा तथा जनमानस को अपने साथ जोड़ना होगा। तभी विभिन्न मान–हत्या जैसी कुप्रथाओं से मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा सकता है।

REFERENCES

[1] Mishra, A. Manupatra (December 2010), Honour killings: The Law It Is And The Law It Ought To Be.

[2] Diglot Edition, IInd Publication.The Indian Penal Code, 1860

[3] Sharma G.L., Rawat Publication, Social Issues (2018).

[4] B.B.C report on Honor Killing.

[5] IPSS survey report on Honor Killing conducted in Delhi.

[6] Grewal.Puneet kumar, Honour Killings and Law in India (Nov-Dec, 2005), IOSR JHSS, Vol.-5, Issue 6, PP-28-31.